MARKING SCHEME OF BSEH SAMPLE PAPER MARCH 2024 SUBJECT: PUBLIC ADMINISTRATION

CLASS: XII SUBJECT CODE: 598

Q.	EXPECTED ANSWER/VALUE POINTS	MARKS
NO 1	राष्ट्रपति	1
2	योग्यता	1
3	राष्ट्रपति	1
4	चंडीगढ	1
5	5 वर्ष	1
6	प्रधानमंत्री	1
7	संबंधित विभाग प्रम्ख को	1
8	राजस्थान	1
9		1
	1990	1
10	65 বৰ্ষ	_
11	हैदराबाद	1
12	निदेशक मंडल	1
13	1853 \$ 0	1
14	तीन स्तर	1
15	पदोन्निति एक ऐसी जिज्ञासा है जिसमें आगे बढने की स्वतः उपलब्धि सुलभ होती है ।	1
16	संघात्मक शासन प्रणाली	1
17	वित् मंत्रालय	1
18	A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है।	1
19 20	A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है । A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है ।	1
21	राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका को कहा जाता है जो कुछ समय के लिए चुनाव अथवा अन्य	2
	साधन द्वारा नियुक्त की जाती है ।	
22	संघ जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन अथवा फेडरल कहा जाता है , वास्तव में लैटिन भाषा के फोड्स शब्द से बना	2
	है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता । अतः संघ सरकार कुछ राज्यों का एक ऐसा स्थायी संगठन है	
	जिसकी स्थापना एक समझौते के आधार पर की जाती है । जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य कुछ	
	सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार संगठित करते हैं तथा शेष उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं	
	करते हैं तो एक संघात्मक सरकार की स्थापना होती है ।	
23	सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा	2
	उच्च न्यायालय के उन न्यायधीशों, जिन्हें वह उचित समझता है कि सलाह से करता है ।	
24	 विभाग मुख्य कार्यकारी के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी होते हैं । 	1
	2. सामान्यत: विभाग प्रशासनिक पद सोपान की सबसे बड़ी तथा उच्चतम इकाई है l	1
25	 लोक निगम को आवश्यकता से अधिक वितीय स्वतन्त्रता प्रदान करने के कारण कभी कभी धन 	1
	के दुरूपयोग होने की सम्भावना भी बनी रहती है ।	
	 लोक निगम की प्रबंध व्यवस्था तथा कार्यालय जन सम्पर्क में नहीं रहते हैं ,जनता से प्रत्यक्ष 	1
	संबंध स्थापित नहीं हो पाता और न ही जनता की प्रतिक्रिया इन्हें प्रत्यक्ष ढंग से प्राप्त हो पाती है	-
	अतः इन्हें प्रजातांत्रिक नहीं माना जा सकता है ।	
26	1.कर्मचारी को वर्तमान पद से उच्च पद दिया जाता है ।	1
	2.कर्मचारी के उतरदायित्व में वृद्धि होती है ।	
		1

किया जाता है और उन्हें पदों पर नियुक्त कर प्रशासन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। दिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित करना ही भर्ती है। भर्ती का अर्थ चयन नहीं हैं , बल्कि , ययन भर्ती प्रक्रिया का एक अंग है। 32 जब दिक्त पदों को सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों में से ही भरा जाए तो उसे अप्रत्यक्ष या पदोन्नित के द्वारा की गई भर्ती कहरे हैं। 32 कार्य तथा उद्देश्य :- यह विभागीय संगठन का परंपरागत एवं लोकप्रिय आधार रहा है, इसके अनुसार विभाग का संगठन उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह प्रेरित है। प्रक्रिया :- इस आधार पर विभाग का संगठन विशेष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए जिससे वह प्रेरित है। प्रक्रिया के प्रक्रिया का संगठन विभागों के कर्मचारी विशेषन होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं। इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सिख्या आधार अध्यक्ष सहित ताहरीत द्वारा की जाती है। इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सिख्या आधार पर होती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सिख्या का निर्धारण राष्ट्रपित के द्वारा बागा गए काल्न के द्वारा किया जाता है। सदस्यों के सदस्यों की सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्या के रूप में कार्य कर तके । 1 पद्म्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्यवहार 2 अयोगयता इस पद सेवाच के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्यवहार 2 अयोगयता इस पद सेवाच के स्परता को प्रस्तुत कस्त्र की प्रक्रिया (वशेष बहुमत से प्रस्ता पर प्रथापत की प्रक्रिया सेवाच के स्वया काता है। उत्तर वरीय कुम्या अत्यंत जटिल प्रतीत होते हैं। 2 वितोय प्रशासन के अंतर्गत लिया होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप किया जाता है। उत्तर पर प्रवेश वहुमत करने, वज्य करते की दा प्रमास को विधि के अनुसार सुचार करने से होता है। वितोय प्रशासन को सरकार को तथा प्रयासन है। केवा हिसाब रखने है। स्वर्य करना है स्वर्य करना है सुचा सुचार के लिया है। वितोय प्रशासन करने सेवा है। वितेय प्रशासन करका	27		1 2
पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित करना ही भर्ती हैं। भर्ती का अर्थ चयन नहीं है, ब्रिक्त, ज्ञयन भर्ती प्रिक्रिया का एक अंग हैं । 28 जब रिक्त पदों को सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों में से ही भरा जाए तो उसे अप्रत्यक्ष या पदोन्नित के द्वारा की गई भर्ती कहते हैं। 29 कार्य तथा उद्देश्य : यह विभागीय संगठन का परंपरागत एवं लोकप्रिय आधार रहा है, इसके अनुसार विभाग का संगठन उस उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह प्रेरित हैं। 30 प्रक्रिया :- इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्ध्यत विभागों के कर्मचारी विशेष्ट होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं। 30 संगठन :- संघ लोक सेवा आधोग के सदस्यों की तियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आधोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा बिना जाता है। सदस्यों में सं आधे सदस्यों को कम रो कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी संवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके। 31 नियुक्ति:-भारत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती हैं। 4 पदच्युति:- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वाच्य न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों कप प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जार और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है। 32 वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं, जिनका तक्ष्य शासन के कार्य के स्वाचान के लिए धन एकदित करने होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप के स्वय करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप के स्वय करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार किया जाना चाहिए कि एक पैसा में व्यावस के पर्यात वे किया कमाई कार के स्वय करना होता है। विताय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनना के उपर करने से सुचार सुचार के सुचार के सुचार के सुचार के सुचार के सुचार क	27	भर्ती एक व्यापक क्रिया है, जिसके द्वारा लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों का संगठन , उनका चुनाव	2
है ,बल्कि ,चयन अर्ती प्रक्रिया का एक अंग है । 3व विस्त पर्दों को सेवा में कार्यरत कर्मधारियों या अधिकारियों में से ही भरा जाए तो उसे अप्रत्यक्ष या पर्दान्नित के द्वारा की गई भर्ती कहते हैं । 31 कार्य तथा उद्देश्य :- यह विभागीय संगठन का परंपरागत एवं लोकप्रिय आधार रहा है, इसके अनुसार विभाग का संगठन उस उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह पेरित हैं । 32 प्रक्रिया :- इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विभागों के कर्मचारी विशेषज्ञ होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं । 33 संगठन :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निय्वित एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निय्वित राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बलाए गए कानृत के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में अधी सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर होने । अवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्ता के उसके पद से सर्वोच्य न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता 31 विनुष्तिः नारत में नियंत्रक एवं लेखा परिक्षक को उसके पद से सर्वोच्य न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता 33 इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव पक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में पस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चत किया जाता है । अतः पदच्युति के प्रक्रिया आधार और सदन द्वारा विशेष क्रमत से प्रस्ताव जाता होता है तथा प्रशासन के संतर्त तथा का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिय के अनुसार स्वाच के पर व्या जाता होती है । अतः पदच्य के प्रमाण को प्रशासन के साथ-साथ जनता की गाड़ कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए लिक एक पैसा भी व्यर्य का नाया होता होता है तथा पर स्वर्य कर से स्वर्य करता है। वितेय प्रशासन सरकार को सरकार को सरकार एक तो पर होता होता है तथा प		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
28 जब रिक्त पदों को सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों में से ही भरा जाए तो उसे अप्रत्यक्ष या पदोन्नित के द्वारा की गई भर्ती कहते हैं । 29 कार्य तथा उद्देश्य :- यह विभागीय संगठन का परंपरागत एवं लोकप्रिय आधार रहा है, इसके अनुसार विभाग का संगठन उस उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह पेरित हैं । प्रिक्रेया :- इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रिक्रेया के आधार पर सम्बन्धित विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रिक्रेया के आधार पर सम्बन्धित विशिष्ट व्यावसायिक सेवा आयोग के सदस्यों की नियंक्त राष्ट्रपित द्वारा की जाती हैं । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संवर्धा अध्यक्ष सहित 11 हैं । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कंपरित राष्ट्रपित द्वारा की जाती हैं । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सदस्यों की संवर्धा अध्यक्ष सिहत 11 हैं । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कंपरित राष्ट्रपित द्वारा किया जाता हैं । सदस्यों में से आधे सदस्यों की कंपरित राष्ट्रपित के द्वारा बनाए गए कानृत के द्वारा कीया जाता हैं । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कंपरित राष्ट्रपित के स्वारा बनाए गए कानृत के द्वारा कीया जाता हैं । सदस्यों में से अधी सदस्यों को कर्प संवर्ध या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक हैं । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कथा के सक्य के । 10 विश्वित-अगरत के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक हैं । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप संके । 11 विश्वित-अगरत के अधीन विशेष संस्था के रूप सेवाच मायायाय के न्यायायायोशों की तरह दो आधारों पर :-1 प्रमाणित दुर्थवहार 2 अयोग्यता । 22 विश्वित-अगरत आधारों का प्रसाय कही और सेवाच मायायाय के न्यायायायोशों की तरह दो अपले का प्रसाय कर ने अधिक प्रशासन के वे सभी कार्य आतात के अधिक प्रशासन के यहाय करना होता हैं । अतः परव्य करना होता है ने इसके साथ-साथ जनता की गाडी कमाई को इस ढंग से क्या करने से होता है। वितीय प्रशासन को एक्ति करती करने का स्वाय इसे का कार्य करना है। स्वय सरका को एक्ति करनी व्यायायाय हो करते के साथ के स्वय करना है। यायायाय		· ·	
पदोल्जित के द्वारा की गई भर्ती कहते हैं । कार्य तथा उद्देश्य :- यह किमागिय संगठन का परंपरागत एवं लोकप्रिय आधार रहा है, इसके अनुसार विभाग का संगठन उस उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह प्रेरित हैं । प्रक्रिया :- इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं । संगठन :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की आयोग के सदस्यों की संख्या को किर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए राजन्म के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । विश्वित-भारत में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक परं लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के रोग सस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योविक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । अपना के अत्य उत्तात की माता है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका लक्ष्य शासन के कार्य का हो । वितीय प्रशासन को एकतित करना होता है तथा इस धन को विधिक अनुसार स्वाक रे सार्य करना होता है । वितीय प्रशासन को एकतित करनी, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय कर हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एकति के सार्य प्रसान			
कार्य तथा उद्देश्य :- यह विभागीय संगठन का परंपरागत एवं लोकप्रिय आधार रहा है, इसके अनुसार विभाग का संगठन उस उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह प्रेरित है प्रक्रिया :- इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट ट्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विभागों के कर्मचारी विशेषज होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं प्रक्रिया :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 11 है संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाता है सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर पशासिनिक अनुभव होना आवश्यक है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके विमुक्त-भारत में नियंत्र एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है परच्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वाच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है अतः परच्युति के प्रक्रिया अत्यंत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं , जिनका लक्ष्य शासन के कार्य करना होता है वितीय प्रशासन के वेतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं , जिनका लक्ष्य शासन के कार्य करना होता है वितीय प्रशासन के वेत्य वहाय हम ध्यान रखें की जनता के उपर उत्तन होते कर भार पड़ जितन आवश्यक है इसके साथ-साथ जनता होता है से समस्व के वेत्य का हसाब एखने , सरकार के संचाय कार के स्थान रखें एक्ष प्रसासन करने से होता है वितीय प्रशासन को सरकार व्यय में उचित करोती करने का समुण देन का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय हण्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न को होता है तो उसका फैसला सर्वाच्य न्यायालय ही करता है 2. यदि कुछ राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फ	28		2
विभाग का संगठन उस उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए जिससे वह प्रेरित हैं । प्रक्रिया :- इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट ट्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता हैं । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्ध्यित विभागों के कर्मचारी विशेषज्ञ होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं । रमें कार्य करने की योग्यता रखते हैं । सम्वन्ध स्वास्त :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्त एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्त एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर तक । विमुक्त-भारत में नियंक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पदच्यति :- नियंक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वाच्य न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार कि प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चत किया जाता है । अत: पदच्यित कि प्रक्रिया अत्यंत लोक प्रभागत के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकवित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार स्वार रूप कथा जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अत: वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकवित करने, व्यय करने, बजट बनाने ,आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण एखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवह नेयार करने से होता है। वितीय प्रशासन को सरकारी व्यय में उचित करने का स्झाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय हथ्ये से कोई प्रशासनिक समस्या उत्यन्त में सहता है तो उसका फैसला सर्वोंच न्यायालय ही करता है । 1 अवदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोंच न्यायालय ही करता है ।		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
प्रक्रिया :- इस आधार पर विशाग का संगठन विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विशागों के कर्मचारी विशेषज्ञ होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं । संगठन :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्त एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सिहत 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बनाण गण कानृन के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है तािक आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । विश्विक्त:-भारत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पद्युति :- नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का पस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निरिक्षण और दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पद्य्यति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप से त्या करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक हैं । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय करना होता है। वितीय प्रशासन को सरकार व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिदेवन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन को सरकार के सरकार के साथ-साथ वितीय हण्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्त न हो । 1 वितीय प्रशासन के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच न्यायालय ही करता है । 2 यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्यालय ही करता	29	•	1
जाता हैं । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विभागों के कर्मचारी विशेषज्ञ होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की योग्यता रखते हैं । संगठन :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निय्क्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निय्क्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सिहत 11 हैं । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सिहत 11 हैं । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या आयोग के सदस्यों की संख्या आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 11 हैं । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक हैं । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । विश्वक्ति:- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार व अधोग्यता की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद व्वारा निश्चित किया जाता हैं । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती हैं । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार स्वाक्त के कार्य करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना हि कर भार पड़ जितन आयश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाचाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य अतो हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकवित करने, व्यय करने, वज्य करने, बज्य करने को सहाय देने का कार्य करता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारों व्यर्थ में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय हण्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1 अरिकृत तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सिक्त में स्वर्य न न्यायालय		•	
में कार्य करने की योग्यता रखते हैं । संगठन :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राण्ट्रपति द्वारा की जाती है । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सिहत 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राण्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । नियुक्ति:-भारत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राण्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पद्ध्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वाच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो अधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अत: पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकद्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जावा विरिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अत: वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमान कार्य औत है जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकदित करने, व्यय करने, बजद बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एक एक्त संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय इपटी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्त न हो । 1 अरदि कुळ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वाच्यालय ही करता है ।		प्रक्रिया:- इस आधार पर विभाग का संगठन विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को ध्यान में रखकर किया	1
4 संगठन :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपिति द्वारा की जाती है । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सिहत 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपित के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है तािक आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । वियुक्ति:-भारत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपित द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपित द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपित द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपित द्वारा कीजाती है । अधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार व अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चत किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यत जटिल प्रतीत होती है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप से तथा करना चहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप से तथा जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ करना ह्वारा वित्रय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकित्रत करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तथार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय हण्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्त न हो । 1.यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोंच्या स्वार्		जाता है । प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्धित विभागों के कर्मचारी विशेषज्ञ होते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र	
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अन्भव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है तािक आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । वियुक्ति:-भारत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एवं रुक्ति ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चत किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है । 32 वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकार के सरकार के सामने वितीय दण्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्यालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।		में कार्य करने की योग्यता रखते हैं ।	
सहित 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपित के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अन्भव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है तािक आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । वियुक्ति:-भारत में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपित द्वारा कीजाती हैं । पदच्युति:- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोशों की तरह दो आधारों पर:- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जिल्ला प्रतीत होती है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तथार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सूझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय हण्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1 व्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।	30	संगठन :- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की	4
कानून के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया है तािक आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । त्रियुक्त:-भारत में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्ज्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्ज्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जित्व प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय हु हु दो से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1 1 यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2 यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है करता है ।		नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष	
या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके। जियुक्त:-भारत में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है। क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारु रूप से व्यय करना होता है वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करना है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा ठठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वाच्य व्यायालय ही करता है 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वाच्य व्यायालय ही करता		सहित 11 है । संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए	
है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके । जियुक्ति:-आरत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जित्र प्रतीत होती है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से वयय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उत्पर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजित्र धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है , ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्त न हो । 1 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च विनायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।		कानून के द्वारा किया जाता है । सदस्यों में से आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार	
1 नियुक्ति:-भारत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपित द्वारा कीजाती हैं । पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जित्य प्रतीत होती है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से त्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तथार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।		या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अन्भव होना आवश्यक है । ऐसा इसलिए किया गया	
पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह दो आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है । वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।		है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके ।	
अधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है । 32 वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय हण्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वाच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।	31	नियुक्ति:-भारत में नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजाती है i	1
इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है। क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है। अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है। 32 वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है। वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के उपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है। इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए। अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय हष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो। 33 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।		पदच्युति :- नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोशों की तरह दो	
और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है। क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, लिरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा लिश्चित किया जाता है। अत: पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है। 32 वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचार रूप से व्यय करना होता है। वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है। इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए। अत: वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तथार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो। 33 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।		आधारों पर :- 1 प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता	
प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है । 32 वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 33 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।		इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए	3
प्रक्रिया , निरिक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रतीत होती है । 32 वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 33 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।		और सदन द्वारा विशेष बह्मत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है। क्योंकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की	
है । अतः पदच्युति कि प्रक्रिया अत्यंत जिटल प्रतीत होती है । 32 वितीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तथार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है , ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 33 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।		J	
वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं ,जिनका लक्ष्य शासन के कार्यों के संचालन के लिए धन एकिवित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकिवित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित करौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।		•	
संचालन के लिए धन एकत्रित करना होता है तथा इस धन को विधि के अनुसार सुचारू रूप से व्यय करना होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 33 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।	32	-	
होता है । वितीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह ध्यान रखें की जनता के ऊपर उतना ही कर भार पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अतः वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजिनक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है । वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।	02		
पड़े जितना आवश्यक है । इसके साथ-साथ जनता की गाड़ी कमाई को इस ढंग से व्यय किया जाना चाहिए कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अत: वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। है।			4
कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए । अत: वितीय प्रशासन में सरकार के वे तमाम कार्य आते हैं जिनका संबंध सार्वजिनक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।			
सार्वजनिक धन को एकत्रित करने, व्यय करने, बजट बनाने , आय-व्यय का हिसाब रखने , सरकार के लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।			
लेन-देन तथा पूंजी एवं दायित्वों का विवरण रखने एवं इनका संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने से होता है। वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, ताकि सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो। 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।		•	
वितीय प्रशासन सरकार को सरकारी व्यय में उचित कटौती करने का सुझाव देने का कार्य करता है, तािक सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।			
सरकार के सामने वितीय दृष्टी से कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो । 1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।			
1.यदि केंद्र तथा एक के अधिक राज्यों के बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च व्यायालय ही करता है। 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। है।			
न्यायालय ही करता है । 2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ।			
2. यदि कुछ राज्यों के बीच किसी मामले पर झगड़ा हो तो उसका फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।	33		1
है ।			
			1
		3. यदि सरकार किसी नागरिक या नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ठेस पह्चाएं या उसे छिनने का	1
प्रयास का प्रयास करें तो नागरिक ऐसी मामले को सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं ।		प्रयास का प्रयास करें तो नागरिक ऐसी मामले को सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं।	
4. यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई झगड़ा उठे तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च		4. यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई झगड़ा उठे तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च	1
न्यायालय ही करता है ।			1
34 भारत में संसद द्वारा लोक निगम पर नियंत्रण रखने के लिए जिन तरीकों को व्यवहार में प्रयोग किया	34	भारत में संसद द्वारा लोक निगम पर नियंत्रण रखने के लिए जिन तरीकों को व्यवहार में प्रयोग किया	

	<i>y y</i>	1
	जाता है वह इस प्रकार हैं :-	
	1. प्रश्न पूछ कर	
	2. निगम के संबंध में आधे घंटे की बहस की मांग करके	
	3. निगम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन करके	4
	4. निगम के पर प्रतिवेदनों में वाद विवाद करके	
	5. निगम के संबंध में उस समय हस्तक्षेप करके जब उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है और जो	
	संसद की स्वीकृति के बिना उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता	
	6. किसी भी लोक निगमों से संबंधित मामलों पर प्रस्ताव पेश करके तथा उसे पर वाद विवाद करके	
	7. निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में वाद -विवाद करके ।	
35	1. संविधान की सर्वोच्चता :- अन्य संघीय संविधानों की भांति भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून	1
	है। भारत में कोई भी सरकार या संस्था अथवा व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। इसकी सभी संस्थाओं की	
	शक्ति का स्रोत है संघीय सरकार तथा राज्य सरकारें इसके अनुसार अपना शासन चलाएंगे ।	
	2. शक्तियों का विभाजन :- अन्य संघीय संविधान की भांति भारतीय संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के	1
	बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियां में किया गया है ।	
	3. लिखित तथा कठोर संविधान :- भारतीय संविधान में संघीय सरकार का अन्य लक्षण संविधान का	1
	लिखित तथा कठोर होना भी मौजूद है ।	
	4 दोहरी शासन प्रणाली :- संघीय राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था होती है । भारत में भी संघीय	1
	सरकार और प्रान्तों की सरकार दोनों ही संविधान की उपज होती हैं।	I
	5. द्विसदनीय विधानमंडल:- संघीय शासन प्रणाली भारत में भी द्विसदनीय विधानमंडल पाया जाता है ।	
36	भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ:-	6
	(1) युद्ध या बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' से उत्पन्न आपात-अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि युद्ध या	
	बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की स्रक्षा संकट में है, तो	
	ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि अपने द्वारा की	
	गयी इस घोषणा को किसी भी समय वापस ले ले।परन्तु संकटकाल की इस घोषणा के समय अथवा उसके	
	दो माह के अन्दर लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो वह संकटकाल नये सदन की बैठक के 30 दिन	
	पश्चात् तक जारी रह सकता है, यदि राज्यसभा दो माह की निश्चित अविध के अन्दर उसे स्वीकार कर चुकी	
	हो। लोकसभा की बैठक के प्रारम्भ होने के 30 दिन पश्चात् संकटकाल उसी समय जारी रह सकता है, जबकि	
	लोकसभा उसे स्वीकार कर ले	
	(2) राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न आपात- अन्च्छेद 356 के अन्सार, अगर राष्ट्रपति	
	का राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो	
	गयी हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह	
	संकटकाल की घोषणा कर सकता है। । संविधान में यह व्यवस्था थी कि संसद के द्वारा एक बार में 6 माह	
	की अविधि के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था। वर्तमान में विशेष व्यवस्था यह है	
	कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आपातकाल को तभी जारी रखा जा सकता है जबकि चुनाव आयोग	
	का उपर्युक्त परिस्थिति के विद्यमान होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाये।	
	(3) वित्तीय या आर्थिक आपात – संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो	
	जाये कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे राष्ट्र की वितीय स्थिरता या साख (Financial Stability or	
	Credit) संकट में है तो वह वितीय संकट की घोषणा कर सकता है।	
	अथवा राष्ट्रपति को निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं :-	
		6
	राष्ट्रपति संसद का एक अंग है :- भारतीय संसद राष्ट्रपति ,लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से	
	मिलकर बनती है ।	

संसद का अधिवेशन बुलाने तथा स्थगित करना :-राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक ही समय में या अलग-अलग समय में बुला सकता है और इसको बढ़ा एवं स्थगित कर सकता है। संसद को संबोधित करना :- संसद का पहला और वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही आरंभ होता है ,जिसमें वह सरकार की नीतियों और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है । संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करना :- राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य से मनोनीत करता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला ,समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो । लोकसभा को भंग करना :- राष्ट्रपति लोकसभा को इसकी अवधि पूरी होने से पहले मंत्रिमंडल की सलाह से भंग करके दोबारा च्नाव करवा सकता है । विधेयकों पर स्वीकृति :- संसद द्वारा पास किए गए विधेयक को राष्ट्रपति चाहे तो अपने स्वीकृति देने की बजाय उसे संसद से पनर्विचार के लिए भेज सकता है ,लेकिन यदि संसद पन: विचार करके उस विधेयक को मूल रूप से दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है । कुछ विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति :-संसद में कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किए जा सकते जैसे उदाहरण के लिए नए राज्यों का बनाने, राज्यों के नाम बदलने वाले विधेयक । अध्यादेश जारी करना :- अन्च्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । यह अध्यादेश कानून की तरह से लागू होते हैं । संसद के द्वारा स्वीकृत होने पर यह कानून का रूप ले लेता है। पंचायती राज के दोषों को निम्नलिखित उपायों से दर किया जा सकता है -शिक्षा का प्रसार :-स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के लिए लोगों का शिक्षित होना आवश्यक है तािक वे अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग रहें । सदस्यों का प्रशिक्षण:-पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के प्रशिक्षण की पूरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अपने कार्यों को ठीक तरह से करके उचित फैसला क्र सक । गाम सभा को सिक्रय करना:- पंचायती राज को सफल बनाने के लिए ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए और गांव के नागरिकों को इसकी कार्रवाईयों में रुचि लेनी चाहिए । सरकारी हस्तक्षेप में कमी: - स्थानीय संस्थाएं तभी सफल हो सकती हैं जब सरकार इन संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता दे और इनके पद-प्रदर्शन की व्यवस्था करें । धन की अधिक सहायता :- सरकार इन संस्थाओं के लिए नई योजनाएं बनाएं और उनके लिए उचित मात्रा में धन दें। नियमित चुनाव: - पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव आयोग की देख-रेख में, नियमित रूप से होने चाहिए । पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक शक्तियां देनी चाहिए :- पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक दायित्व और शक्तियां मिलनी चाहिए । पंचायती राज की संस्थाओं में सकारात्मक संबंध:- साधारणतया पंचायती राज की तीनों स्तर की संस्थाओं के

अथवा

मध्य टकराव की भावना की बजाय अच्छे और मध्र संबंध होने चाहिए । आपस में सद्भावना होनी चाहिए निपुण और ईमानदार कर्मचारी :- स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

73वाँ संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं :-

37

1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता :- 73 में संवैधानिक संशोधन के पास होने से पहले स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी ।इस संशोधन के द्वारा नया भाग नई अनुसूची शामिल किया गया और भाग 9 में अंकित सभी अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची में उन विषयों का वर्णन किया गया है जिनके संबंध में शक्तियाँ पंचायती को पंचायत को सौंप जा सकती हैं।

a

- 2. तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली :-अन्च्छेद 243 (ख) त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करता है प्रत्येक राज्य में निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है।
- 3. सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव :-पंचायती राज की नई प्रणाली के अधीन पंचायत क्षेत्र को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा और इन चुनाव क्षेत्रों से पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों दवारा किया जाएगा ।
- 4. स्थानों का आरक्षण :- नई पंचायती प्रणाली में विभिन्न पंचायतों में अन्स्चित जातियों, अन्स्चित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।
- 5. पंचायतों का कार्यकाल :- पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा । कार्यकाल पंचायत की पहली बैठक की तिथि से आरंभ होगा ।
- 6. पंचायत के कार्य :-संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय रखे गए हैं, जिन पर पंचायत कानून बनाकर उन कार्यों को कर सकती है ।
- 7. राज्य चुनाव आयोग :-इस संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल दवारा की जाएगी।
- 8. वित् आयोग की स्थापना :-इसमें यह की गई है कि इस संशोधन के लागू होने के एक वर्ष के भीतर राज्य या राज्यपाल एक वित् आयोग कि निय्क्ति करेगा ।

38 लोक सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो इस प्रकार से हैं :-

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुचित मूल्यांकन :- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उचित मूल्यांकन करते समय प्रशिक्षक को कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए । क्योंकि संगठन में पाठ्यक्रम की मात्रा,प्रमाण-पत्रों की संख्या और प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता है । व्यवस्थापिका का असहयोग :- प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थापिकाएं असहयोगात्मक रवैया अपनाती हैं या तो प्रारूप तैयार ही नहीं करती और अगर करती भी हैं तो वह काफी विलंब से ।

उच्च स्तरीय प्रशासकों की उदासीनता:- कुछ ऐसे उच्च स्तरीय प्रशासक हैं जो प्रशिक्षण की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते और इसे बेकार की चीज मानते हैं और वह संगठन में उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी अपने मत का समर्थन करने के लिए दबाव डालेगा।

उचित समन्वय का अभाव :- प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि लोक सेवकों के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के मध्य उचित समन्वय नहीं हो पाता ।

कार्य भार की अधिकता :- कर्मचारियों पर कार्य भार अधिक रहता है और उनके लिए प्रशिक्षण हेत् समय निकालना बहुत कठिन होता है । प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य को कोई अन्य कर्मचारी नहीं करता ।

धन का अभाव :- यह भी देखने में आया कि कई बार प्रशिक्षण कार्यों के संचालन के लिए सरकार के पास धन का अभाव होता है । जिससे प्रशिक्षण के वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं ।

सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण की समस्या:- सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निश्चित करने की समस्या भी बडी विकट समस्या है।

अथवा

औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण:-

औपचारिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाता है । इसमें वास्तविक रूप से तैयार किया गया अध्ययन पाठ्यक्रम तथा व्याख्यान, संगोष्टियां, कार्यशालाएं ,सामूहिक चर्चाएं, सम्मेलन कार्य ,परियोजनाएं आदि भी सम्मिलित होती हैं ।

अल्पकालीन और दीर्घकालिक प्रशिक्षण :- प्रशिक्षण के ये दो प्रकार, प्रशिक्षण की अविधि के आधार पर विभाजित हैं । प्रशिक्षण की अविधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु , सेवा के स्वरूप और सरकार की जरूरतों पर निर्भर करती है ।अगर पाठ्यक्रम कुछ सप्ताह अथव महीने का है तो इसे कई महीने, वर्ष तक

õ

6

चलने वाले दीर्घकालीन प्रशिक्षण की तुलना में अल्पकालिक प्रशिक्षण कहा जाएगा ।

प्रवेश पूर्व और सेवाकालीन और प्रवेशोतर प्रशिक्षण :-िकसी कर्मचारी या अधिकारी को सेवा या नौकरी में पद ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए तो उसे प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं प्रवेश से पूर्व के प्रशिक्षण में नई भर्ती किए गए कर्मचारियों को सेवाओं के लिए तैयार करना होता है ।प्रवेशोतर प्रशिक्षण सेवा में प्रवेश करने के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण से कर्मचारी व्यावसायिक रूप से अधिक सक्षम और योग्य बनता है।

कंद्रीय और विभागीय प्रशिक्षण :-जब किसी विशिष्ट विभाग द्वारा अपने निश्चित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर , अपने कर्मचारियों की कार्य क्शलता को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ,तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहा जाता है । इसका मुख्य केंद्र बिंद् विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है, लेकिन कई बार केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा कई विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसे केंद्रीय प्रशिक्षण कहा जाता है।

कार्य कुशलता एवं पृष्ठभूमि प्रशिक्षण :-पृष्ठभूमि प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की मानसिकता और ज्ञान को व्यापक बनाना तथा कर्मचारियों को देश की सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान किया जाता है ,किन्तु जब इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट कार्य में कर्मचारियों को की दशा सुधारना होता है, तो इसे कार्यकृशलता प्रशिक्षण कहा जाता है,जिसमें विशेष कुशलता, तकनीकों आदि का ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है ।

अधिविन्यास प्रशिक्षण:- इसमें नए प्रवेशियों को अपने संगठन के कार्यों , उसकी पद्धितियों , नियमों के बारे में जानना चाहिए । इसके अंतर्गत कर्मचारियों को अपने संगठन और उसकी कार्य पद्धितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है।

MARKING SCHEME OF BSEH SAMPLE PAPER MARCH 2024 SUBJECT: PUBLIC ADMINISTRATION

CLASS: XII SUBJECT CODE: 598

Q. NO	EXPECTED ANSWER/VALUE POINTS	MARKS
1	President	1
2	Merit	1
3	President	1
4	Chandigarh	1
5	5 Years	1
6	Prime Minister	1
7	Head of the concerned department	1
8	Rajasthan	1
9	1990	1
10	65 Years	1
11	Hyderabad	1
12	Board of Directors	1
13	1853 AD	1
14	Three	1
15	Principle of Ability Promotion is a curiosity in which advancement is automatically achieved.	1
16	Federal government system	1
17	Finance Ministry	1
18	Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)	1
19	Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)	1
20	Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)	1
21	Political executive is called such executive which is appointed for some time by election or other means.	2
22	Union, which is called Federation or Federal in English, is actually derived from the Latin word 'fodes', which means treaty or agreement. Hence, the federal government is a permanent organization of some states which is established on the basis of an agreement. When two or more independent states organize a central government to fulfill some common objectives and fulfill the remaining objectives themselves, a federal government is established.	2
23	The Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the President in consultation with other judges of the Supreme Court and such judges of the High Court as he considers appropriate.	2
24	 Departments are directly accountable to the Chief Executive. Generally, department is the largest and highest unit of the administrative hierarchy. 	2
25	1. Due to providing more financial freedom to the public corporation than necessary,	2

	ı
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	_
	2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2
•	2
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
· ·	4
•	
·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4
President of India.	
Removal: - The Comptroller and Auditor General can be removed from his post on	
On these above grounds, a proposal It should be presented in both the Houses of	
Parliament in the same session and it is necessary for the House to pass the proposal	
by a special majority. Because the process of presenting the proposal, inspection and	
proof of misbehavior and the process of disqualification is decided by the Parliament.	
Hence the resignation. That process seems extremely complicated.	
Financial administration includes all those functions of public administration, the aim	4
of which is to collect money for the functioning of the government and to spend this	
money smoothly as per the law. It is the responsibility of financial administration to	
He should keep in mind that the tax burden on the public should be as much as is	
necessary, that is, unnecessary tax burden should not be imposed on him. Along with	
this, the public's hard earned money should be spent in such a way that not even a	
single penny is wasted. In financial management, Mr. White has identified the	
executive which requires the funds, the legislature which approves these funds, the	
offices of the executive which control the funds, and the office of the public official	
who determines the propriety and legality of the use of the funds. Therefore, financial	
administration includes all those functions of the government which are related to	
	two grounds like the Supreme Court judgments: - 1 Proven misbehavior 2 Ineligibility On these above grounds, a proposal It should be presented in both the Houses of Parliament in the same session and it is necessary for the House to pass the proposal by a special majority. Because the process of presenting the proposal, inspection and proof of misbehavior and the process of disqualification is decided by the Parliament. Hence the resignation. That process seems extremely complicated. Financial administration includes all those functions of public administration, the aim of which is to collect money for the functioning of the government and to spend this money smoothly as per the law. It is the responsibility of financial administration to He should keep in mind that the tax burden on the public should be as much as is necessary, that is, unnecessary tax burden should not be imposed on him. Along with this, the public's hard earned money should be spent in such a way that not even a single penny is wasted. In financial management, Mr. White has identified the executive which requires the funds, the legislature which approves these funds, the offices of the executive which control the funds, and the office of the public official who determines the propriety and legality of the use of the funds. Therefore, financial

	collecting public money, spending, making budget, keeping accounts of income and	
	expenditure, transactions of the government and capital and liabilities. This is done by	
	keeping the details of the expenditure and preparing its complete report. Financial	
	administration works to suggest the government to make appropriate cuts in the	
	government expenditure, so that the government does not face any administrative	
	problem from the financial point of view.	_
33	1.If any dispute arises between the Center and more than one state, it is decided by	4
	the Supreme Court.	
	2. If there is a dispute on any matter between some states, it is also decided by the	
	Supreme Court.	
	3. If the government violates or attempts to take away the fundamental rights of any	
	citizen or citizens, the citizen can bring such a case directly to the Supreme Court.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4. If any dispute arises regarding the election of the President or Vice President, it is	
	also settled by the Supreme Court	
34	In India, the methods which are used in practice by the Parliament to control the	4
	Public Corporation are as follows:-	
	1. By asking questions.	
	2. By demanding a half-hour debate regarding the corporation .	
	3. By establishing the corporation By amending the law.	
	4. By debating the reports of the corporation.	
	5. By intervening in relation to the corporation at the time when they need money	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	and which they cannot get without the approval of the Parliament.	
	6. Related to any public corporations By presenting proposals on matters and	
	debating on them .	
	7. By debating the annual reports of the corporation.	
35	1. Supremacy of the Constitution : - Like other federal constitutions, the Constitution	4
	of India is the supreme law of the country. No government or institution or person in	
	India is above the Constitution. The source of power of all its institutions is the federal	
	government and the state governments, according to it. Will run my rule	
	Division of powers:- Like other federal constitutions, the Indian Constitution has	
	divided powers between the Union and the States in three lists.	
	·	
	3. Written and rigid constitution:- Another characteristic of the federal government	
	in the Indian Constitution is that the constitution is written and rigid.	
	4 Dual Governance :- There is a system of dual governance in federal states. In India	
	too, both the federal government and the provincial governments are products of the	
	Constitution.	
36	Emergency powers of the President of India: -	6
	(1) Emergency arising out of war or external aggression or 'armed rebellion' -	U
	According to Article 352, if the security of India or any part of its territory is in danger	
	due to war or external aggression or armed rebellion. If so, then in such a situation	
	the President can declare emergency. The President has the right to withdraw this	
	announcement made by him at any time. But if the Lok Sabha is dissolved at the time	
	of this declaration of emergency or within two months thereafter, then that	
	emergency period will end 30 days after the meeting of the new House. It can	
	continue till the end of the year, if the Rajya Sabha accepts it within the stipulated	
	period of two months. 30 days after the commencement of the meeting of the Lok	
	Sabha, the emergency period can continue only if the Lok Sabha accepts it.	

(2) Emergency arising due to failure of constitutional machinery in the states -According to Article 356, if the President, on the report of the Governor, Or if he is satisfied in any other way that such circumstances have arisen that the governance of a State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, then he can declare a period of emergency., There was a provision in the Constitution that President's rule could be imposed in the state by the Parliament for a period of 6 months at a time. At present, the special provision is that emergency can be continued for a period of more than 1 year only unless a certificate is obtained from the Election Commission regarding the existence of the above mentioned situation. (3) Financial or economic emergency – . According to the constitution Article 360 if the President believes that such a situation has arisen in the country due to which the financial stability or credit of the nation is in danger, then he can declare a financial crisis. Or The President has the following legislative powers: -The President is a part of the Parliament: - The Indian Parliament consists of the

President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha.

Convening and adjourning the session of the Parliament: - The President can convene the sessions of both the houses of the Parliament at the same time. Or can convene at different times and can extend and adjourn it.

Addressing the Parliament: - The first session of the Parliament and the first session of the year starts with the President's address, in which he throws light on the policies and needs of the government.

Nominating some members of Parliament:- The President nominates 12 members to the Rajya Sabha who have achieved fame in the fields of literature, science, art and social service.

Dissolution of the Lok Sabha: - The President can dissolve the Lok Sabha before the completion of its term and call for re-election with the advice of the Cabinet. Approval of the Bills: - If the President wants, instead of giving his assent to the bill passed by the Parliament, it can be approved by the Parliament. Can send for reconsideration, but if the Parliament reconsiders and passes that bill again in the original form, then the President has to give assent.

Prior approval of the President for presenting some bills in the Parliament: - Some bills in the Parliament Bills cannot be introduced without the prior approval of the President, for example, bills creating new states, changing the names of states. Issuance of Ordinance: - Under Article 123, the President can issue an ordinance. This ordinance comes into force like law. When approved by the Parliament, it takes the form of law.

37 The defects of Panchayati Raj can be removed by the following measures – Spread of education: - To make local institutions successful, it is necessary for people to be educated so that they are aware of their duties and rights.

Training of members: - Panchayati Raj institutions. There should be a complete system of training of the members of Panchayati Raj so that they can perform their tasks properly and take appropriate decisions.

Activating the Gram Sabha:- To make the Panchayati Raj successful, the meetings of the Gram Sabha should be held regularly and the citizens of the village should be informed. Government should take interest in its activities.

Reduction in government interference: - Local institutions can be successful only

when the government gives more freedom to these institutions and makes arrangements for their performance.

More support of funds: - Government introduces new schemes for these institutions. Make and give them a fair amount of money.

Regular elections: - Elections of Panchayati Raj institutions should be held regularly after a fixed period, under the supervision of the Election Commission.

Panchayati Raj institutions should be given more powers: - Panchayati Raj institutions should get more responsibilities and powers. Panchayati Raj institutions should be given more powers.

Positive relations among the institutions of government:- Generally, there should be good and cordial relations instead of conflict between the three level institutions of Panchayati Raj. There should be goodwill among themselves.

Skilled and honest employees:- Employees of local self-government institutions are appointed on the basis of merit. It should be based on this and it is also necessary to pay attention to the training of these employees.

Or

Main features of the 73rd Amendment Act: -

- **1.** Constitutional recognition to Panchayati Raj institutions: Before the passing of the constitutional amendment in 73, local self-government institutions were not recognized by the Constitution. Through this amendment, a new part, a new schedule was included and part All the articles mentioned in Article 9 and the 11th Schedule describe the subjects in respect of which powers can be handed over to the Panchayati.
- **2. Three-tier Panchayati Raj System:** Article 243 (b) The three-tier Panchayati Raj system makes every In the state, Gram Panchayat has been formed at the lower level, Panchayat Samiti at the intermediate level and Zilla Parishad at the top level.
- **3. Direct election of members**: Under the new system of Panchayati Raj, the Panchayat area will be divided into different constituencies. And the Panchayat members from these constituencies will be directly elected by the people.
- **4. Reservation of seats**: In the new Panchayati system, arrangements have been made to reserve seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women in various Panchayats.
- **5 Tenure of Panchayats**: The tenure of Panchayati Raj institutions will be 5 years. The tenure will start from the date of the first meeting of the Panchayat.
- **6. Functions of the Panchayat**: A total of 29 subjects have been kept in the 11th schedule of the Constitution, on which the Panchayat can make laws. Can perform those functions.
- **7. State Election Commission**: By this amendment, arrangements have been made for the appointment of the State Election Commission. Their appointment will be made by the Governor of the state.
- **8. Establishment of Finance Commission**: It has been made in this That within one year of the coming into force of this amendment the State or the Governor shall appoint a Finance Commission.
- There are many types of problems related to the training of public servants which are as follows: -

Improper evaluation of training programs: - While making proper evaluation of the training program, the trainer should analyze keeping in mind the objectives of the program. Because the curriculum in the organization is The quantity, number of

6

certificates and number of trained members have no importance in themselves. **Non-cooperation of the legislature:** - The legislatures adopt a non-cooperative attitude towards the training program, either they do not prepare the draft and even if they do, they Lately.

Indifference of high level administrators:- There are some high level administrators who do not pay any attention towards training and consider it as a useless thing and they will also pressurize other people present in the organization to support their opinion.

Lack of proper coordination: - An important problem of training is that there is no proper coordination between the work and training work of public servants.

Excessive work load: - The work load on the employees is high and it is very difficult for them to find time for training. It is difficult. No other employee does the work to be done during the training.

Lack of funds: - It is also seen that many times the government lacks funds to conduct the training works. Due to which the actual implementation of the training gets hampered. Objectives are destroyed.

Problem of determining the curriculum for in-service training:- The problem of determining the curriculum for in-service training is also a very serious problem.

Or

Formal and Informal Training:- Formal training is done under the guidance of an expert. It also includes realistically prepared study curriculum and lectures, seminars, workshops, group discussions, conference work, projects etc.

Short term and long term training:- These two types of training are divided on the basis of duration of training. The duration of training depends on the subject matter of the training course, the nature of the service and the requirements of the government. If the course is for a few weeks or months then This would be called short-term training compared to long-term training that lasts several months, even years..

Pre-entry, in-service and post-entry training: - If training is given to an employee or officer before joining a service or job, then it is called pre-entry training. Training involves preparing newly recruited employees for services. Post-Entry Training Training is given after entering the service. This training makes the employee more professionally competent and qualified.

Central and departmental training: - When an employee Training is provided by a specific department to increase the work efficiency of its employees, keeping in mind its specific goals, then it is called departmental training. Its main focus is to fulfill the goals of the department, but sometimes the central Training is provided to officers of many departments by the training agency which is called central training.

Work skills and background training:- The purpose of background training is to broaden the mindset and knowledge of the employees and to provide the employees with knowledge of the social, economic, political and administrative background of the country, but when its purpose is to prepare the employees for a specific job. If the condition has to be improved, then it is called efficiency training, in which knowledge of special skills, techniques etc. is provided.

Orientation training: - In this, new entrants should know about the functions of their organization, its methods, rules. Under this Efforts are made to adapt the employees to their organization and its work practices.